



परिपत्र

परिपत्र सं. : पीएफआरडीए/2023/32/REG-POP/07

22 नवंबर 2023

प्रति,

सभी हितधारक एवं खाता संकलनकर्ता (अकाउंट एग्रीगेटर्स)

विषय : खाता संकलनकर्ता फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के सन्दर्भ में

1. पीएफआरडीए ने अपने परिपत्र सं. पीएफआरडीए/2022/26/एफटी एंड डीए/02 दिनांक 30 सितंबर 2022 द्वारा एनपीएस अभिदाताओं को खाता संकलनकर्ता फ्रेमवर्क के माध्यम से अपने एनपीएस डेटा को पोर्ट करने हेतु दिशानिर्देश जारी किया था, जिसके तहत पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों (सीआरए) को वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में नामित किया गया है।
2. वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) का अर्थ वित्तीय क्षेत्र के किसी भी विनियामक के साथ पंजीकृत और विनियमित इकाई है। उपर्युक्त में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, यह स्पष्ट किया जाता है कि पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के विनियम 3(1)(i) और 3(1)(ii) के तहत पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व, वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) के रूप में कार्य करेगी, जबकि पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत अन्य मध्यस्थ इकाइयाँ एफआईयू बनने हेतु योग्य नहीं होंगी।
3. यह परिपत्र, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के तहत अन्य पेंशन योजनाओं के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने, बढ़ावा देने तथा विनियमित करने हेतु जारी किया गया है।
4. इस परिपत्र की प्रति पीएफआरडीए की वेबसाइट पर www.pfrda.org.in पर उपलब्ध है।

भवदीय,

आशीष कुमार भारती
महाप्रबंधक



CIRCULAR

CIRCULAR No.: PFRDA/2023/32/REG-POP/07

22nd November 2023

To, All Stake Holders & Account Aggregators

Subject: Financial Information User under Account Aggregator Framework-reg.

1. PFRDA vide its circular no. PFRDA/2022/26/FT&DA/02 dated 30 September 2022 has issued guidelines for empowering NPS Subscribers to port their NPS data through Account Aggregator Framework whereby Central Record Keeping Agencies (CRAs) appointed by PFRDA are designated as Financial Information Providers (FIPs).
2. Financial information user (FIU) means an entity registered with and regulated by any financial sector regulator. Notwithstanding anything to the contrary mentioned above, it is expressly stated that the Point of Presence registered under Regulation 3(1)(i) and 3(1)(ii) of PFRDA (Point of Presence) Regulations, 2018, shall act as Financial Information User (FIU), while other intermediaries registered with PFRDA would not qualify to become FIU.
3. This circular is issued in exercise of the powers conferred under Section 14 of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 to protect the interests of subscribers and to regulate, promote and ensure orderly growth of the National Pension System and pension schemes to which the Act applies.
4. A copy of this circular is available on the website of PFRDA at www.pfrda.org.in.

Yours Sincerely,

Ashish Kumar Bharati
General Manager